

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:- प्र01/ग्रा0 वि0-02/2013-

पटना, दिनांक-_____ /

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये उपकरणों/सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु० 1,47,60,356/- (एक करोड़ सैतालीस लाख साठ हजार तीन सौ छप्पन रूपये) मात्र बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1041 दिनांक-29.03.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये उपकरणों/सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि 1,47,60,356/- (एक करोड़ सैतालीस लाख साठ हजार तीन सौ छप्पन रूपये) मात्र बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015-16	संशोधित बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015-16	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
100000000.00	75768000.00	21658608.00	14760356.00	36418964.00	39349036.00

2. यह राशि मुख्य शीर्ष -2801-बिजली, उपमुख्य शीर्ष-02-ताप विद्युत उत्पादन, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष-0001 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी विपत्र कोड एन०-2801021900001, माँग सं०-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना द्वारा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या-33283142878 एवं आई०एफ०सी० कोड SBIN-0000153 में की जायेगी।

कृ०पृ०ऊ०

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/ग्रा0 वि0-02/2013-

पटना, दिनांक- _____/

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र01/ग्रा0 वि0-02/2013- 29

पटना, दिनांक- 30/06/2016,

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/ प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।